tion of Cadre Strength) Regulations 1955.

(v) G.S.R. 1477 published in Gazette of India dated the 10th August, 1968, making certain in amendment to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations 1955.

(vi) G.S.R. 1478 published in Gazette of India dated the 10th August, 1968, making certain amendment to Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954

(vii) G.S.R. 1479 published in Gazette of India dated the 10th August, 1968, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954. [*Placed in Library. See* No. LT-1841/68]

(viii) G.S.R. 1480 published in Gazette of India dated the 10th August, 1968, making certain amendments to Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954. [*Placed in Library. See* No. LT-1977/68.]

Action on Conventions and Recommendations of I.L.O. Conference

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI S. C. JAMIR): I beg to lay on the Table a copy of the Statement on the action taken or proposed to be taken on the Conventions and Recommendations adopted at the Fifty-first Session of the International Labour Conference held at Geneva in June, 1967. [*Placed in Library. See* No. LT-2525/68.]

12.46½ hrs.

STATEMENT BY MEMBER AND MINISTER'S REPLY THERETO

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, 21 अगस्त, 1968 को उप-स्वास्थ्य मंत्री ने एक अल्प-सूचना प्रश्न पर पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दिया। ये प्रश्न मुंगेर के पास के एक ग्राम में हुए विष प्रयोग के सम्बन्ध में थे।

मैंने मंत्री महोदय से पूछा कि क्या सरकार की राय में इसके पीछे कोई षडयंत्र था और क्या कुछ मुलजिम भाग गये हैं? मंत्री जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, उस पर अध्यक्ष महोदय, आप ने उन से पूछा कि क्या मुलजिम भाग गये हैं? उप-मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई नहीं भागा है। यह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था कि मंत्री महोदय का यह निवेदन सत्य नहीं है। फिर भी उन्होंने इस तरह की गलतबयानी की और सदन के सामने मृत लोगों के बारे में भी सही आंकड़े नहीं दिये।

इस सन्दर्भ में मैं आप का ध्यान पटना के दैनिक "सर्चलाइट" के 22 अगस्त, 1968 के अंक में प्रकाशित निम्न समाचार की ओर दिलाना चाहता हूँ :

Monghyr food poisoning case

"HOST SURRENDERS BEFORE CUTTACK MAGISTRATE

From our Correspondent

MONGHYR., Aug 19 : Mr. Ekramul Huque, the host of the poisoning case involving the lives of about 56 childern and a few grown ups in village Vijay Nagar (Suturkhana) who was absconding till then and a warrant for the attachment of his properties was already issued by the SDI, Sadar, Monghyr, is now reported to have surrendered himself before the court of a magistrate, 1st class, in Cuttack in Orissa the day before yestrady, according to a message received here at the district headquarters."

इस खबर की रोशनी में मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय स्थिति को साफ करेंगे और अगर उन्होंने कोई गलत बयान दिया है तो उस को सुधारने का सौजन्य दिखायेंगे।

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S MURTHY): During the course of Supplementaries to Short Notice Question No. 8 in the Lok Sabha on the 21st August, 1968, I had made the following statements ;

[Shri B. S. Murthy]

The original replies given by me were as follows :—

(1) As far as the information received by us indicates, 41 have died so far.

(2) No body has run away.

(3) 41 persons died before they were taken to the hospital.

The correct information on these points is as follows :—

(1) As far as the information received by us indicates, 47 have died so far.

(2) Two suspected persons were absconding.

(3) 47 persons died before they were taken to hospital.

——

12.48. hrs.

ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the maintenance of certain essential services and the normal life of the community.

MR. SPEAKER : Motion moved :

"That leave be granted to introduce a bill to provide for the maintenance of certain essential services and the normal life of the community."

SOME HON. MEMBERS *Rose*—

MR. SPEAKER : I will allow you one after the other.

श्री आर्वे फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : इन्हें बोलने से रोका जाय ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की प्रथा यह है कि जब कोई विधेयक इन्ट्रोड्यूस होता है तो उसकी मुखालिफत नहीं की जाती परन्तु जो विधेयक आज माननीय गृह मंत्री महोदय ने इस सदन के सामने रखा है वह एक काला बिल है और प्रजातंत्र पर एक जबरदस्त चोट है । मैं समझता हूँ इस के कारण से जो एक फंडामेंटल राइट है ट्रेड यूनियन का, हड़ताल करने का, अपनी तकलीफों को निवारण करने का और जैसा कल मंत्री महोदय, ला मिनिस्टर साहब ने कहा कि कलेक्टिव डिफेंस का राइट है, वह जो केरल में प्रचार करते हैं, क्या वह कलेक्टिव डिफेंस का राइट जब मजदूरों पर चोट होती है तो उसको ले लेना चाहते हैं । यह डबल स्टेण्डर्ड जब यह सरकार करती है तो मुझे आश्चर्य होता है ।

अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार यह चाहती थी कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर न जायें, तो उसके लिए कोई व्यवस्था इस बिल में करनी चाहिये थी । लेकिन क्या व्यवस्था की ? उन्होंने वगैर किसी व्यवस्था के फण्डामेन्टल-राइट्स को ले लिया । मैं समझता हूं कि यह जम्हूरियत का गला घोटने के बराबर है । अगर आप उन का हड़ताल करने का अधिकार ले लेते हैं तो उन के पास रहता क्या है ? क्या आउटलेट है ? नतीजा यह होगा कि वे वायलेंस की तरफ जायेंगे, अनलाफुल काम करेंगे । एक तरह से आप लोगों को वायलेंस करने के लिए धकेल रहे हैं । यह देश में अमन और प्रजातन्त्र पैदा करने का तरीका नहीं है । आप देश में एक बहुत गलत प्रथा पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण जम्हूरियत को धक्का लगेगा ।

मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से कहूँगा कि वे इस के बारे में पुनः विचार करें, क्योंकि इंगलैंड में भी यह अधिकार है, दूसरे सभी प्रजातन्त्र देशों में यह अधिकार दे रखा है, लेकिन अगर आप इस तरीके से देश को चलाना चाहेंगे तो देश टोटलीटेरियनिज्म की तरफ जायेगा, जिसकी कल्पना हमारे इस विधान में नहीं की है । मैं चाहूँगा कि आप इस काले विधेयक को वापस लें और इस देश के माथे पर जो कलंक का टीका लगने जा रहा है, कृपा कर उस को हटा दें ।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, I rise to oppose this Bill even at the

*Published in Gazette of India Extra-ordinary, Part II, section 2, dated 5.12.68.